

न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर

उनवान - सरकार बनाम महेन्द्र कुमार

मुकदमा न. 19/18/एफएसएस एक्ट 2006 व नियम 2011

05.07.2018

पत्रावली पेश हुई खाद्यसुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी महेन्द्र कुमार जाट पुत्र रामनारायण जाट निवासी वार्ड नं. 03 गौरिया तहसील दांतारामगढ़ मैसर्स- लोटस डेयरी बूथ नं. 2 हाल लोटस डेयरी विलिंग प्लांट बीकानेर बाईपास गोकुलपुरा उपस्थित। बहस सुनी गई एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी नम्बर एफ- 945 वस्तु मिक्स दुध का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा, जयपुर की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण Substandard Food का पाया गया है। अप्रार्थी ने अपना जुर्म कबूल किया, परन्तु अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर बताते हुये कम से कम जुर्माना लगाने का अनुरोध किया। अप्रार्थी के कारोबार को मध्य नजर रखते हुये खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत अप्रार्थी महेन्द्र कुमार के 5,000/- रुपये का जुर्माना किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्माना राशि राज्यकोष में जमा करवाये वरना अप्रार्थी के विरुद्ध इस अधिनियम के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो

निर्णय सुनाया गया।

5/7/18